प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक याचिका क्रमांक 1035/2019

1 – विनोद नट, पिता श्री ईश्वर नट, आयु लगभग 18 वर्ष, निवासी गंगानगर, वार्ड क्र. 22, कवर्धा, जिला कबीरधाम, नागरिक एवं राजस्व जिला–कबीरधाम छत्तीसगढ़।

... अपीलार्थी

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़।

..... उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी के लिए	:	श्री मनोज कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
उत्तरवादी/राज्य के लिए	:	सुश्री एम आशा, पैनल अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत

बोर्ड पर निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे के अनुसार,

18/03/2025

1. वर्तमान अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम, 2012, फास्ट ट्रैक कोर्ट, कबीरधाम (छ.ग.) द्वारा विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 75/2018 में दिनांक 16.05.2019 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अन्तर्गत विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को धारा 363, 366, 376(3) भा.दं.सं. एवं पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया है, किन्तु पोक्सो अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को निम्नानुसार दण्डित किया गया हैः–

दोषसिद्धि	दंडादेश

भा.दं.सं. की धारा 376(3) के तहत	20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 3000/– रूपये का अर्थदण्ड, तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास
भा.दं.सं. की धारा 363 के तहत	4 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500/– रूपये का अर्थदण्ड, तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास
भा.दं.सं. की धारा 366 के तहत	4 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500/– रूपये का अर्थदण्ड, तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 26.07.2018 को प्रातः लगभग 11:00 बजे अभियोक्त्री विद्यालय जाने के लिए घर से निकली थी। शाम को वह घर वापस नहीं लौटी। जब उसकी खोजबीन की गई तो वह नहीं मिली। परिवादी गेंदालाल गंधर्व ने अभियोक्त्री के लापता होने की सूचना दी। जिसके आधार पर थाना कवर्धा में धारा 363 भा.दं.सं. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया। अभियोक्त्री का आयु प्रमाण पत्र लिया गया। अभियोक्त्री को अभियुक्त/अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किया गया। अभियोक्त्री का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। अभियुक्त/अपीलार्थी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई। साक्षियों के कथन दर्ज किए गए। अभियोक्त्री का कथन धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज कर न्यायालय में दर्ज किया गया। सामान्य जांच पूरी होने के बाद, अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 363, 366, 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 363, 366, 376 (2) (एन) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप विरचित किए, जिस पर उसने निर्दोष होने का अभिवाक किया और विचारण चाहा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. अभियुक्त/अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष ने 12 साक्षियों का परीक्षण कराया है। अभियुक्त/अपीलकर्ता का कथन भी दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध मौजूद परिस्थितियों से इनकार किया और प्रकरण में स्वयं को निर्दोष और झूठे फंसाए जाने का अभिवाक किया। हालाँकि, उसने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपने दिनांक 16.05.2019 के निर्णय द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को विश्वसनीय पाते हुए अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376(3) एवं पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत दोषी ठहराया तथा इस निर्णय के पैरा 1 में उल्लिखित अनुसार उसे दण्डित किया। अतः यह अपील स्वीकार की जाती है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय और उसमें निहित निष्कर्ष विधि की दृष्टि से तथा प्रकरण के तथ्यों के आधार पर श्रुटिपूर्ण हैं। विद्वान विचारण न्यायालय यह देखने में विफल रहा है कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा दिए गए कथन विरोधाभासी हैं तथा ऐसे कथन विधि के अंतर्गत विश्वसनीय और स्वीकार्य नहीं हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को नहीं समझा कि अभियोजन पक्ष अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। अभियोक्त्री की मित्र अ.सा.–1 के कथन से यह स्पष्ट है कि वह अभियोक्त्री के साथ अभियुक्तों के साथ घुघरी रोड अटल आवास गई थी तथा वे रात्रि में वहीं रुके थे। प्रतिपरीक्षण में उसने अभियुक्तों को पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि अवैध और विधि के विरुद्ध है। विद्वान विचारण न्यायालय ने डॉ. उषा सिंह (अ.सा.–12) के कथन को भी नहीं समझा, जिन्होंने अभियोक्त्री के शरीर पर कोई बाह्य या आंतरिक चोट नहीं पाई। अतः अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध संदेह से परे अपना प्रकरण साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। यह भी स्पष्ट है कि अभियोक्त्री का आचरण और कथन विश्वसनीय नहीं है। अतः आक्षेपित निर्णय और दोषसिद्धि अपास्त किए जाने योग्य है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पी. युवाप्रकाश बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक** द्वारा दाण्डिक अपील क्रमांक 1898/2023 में पारित दिनांक 18.07.2023 के निर्णय और **रामशरण सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** के प्रकरण में दाण्डिक अपील क्रमांक 967/2021 में पारित दिनांक 17.08.2023 के इस न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सुक्ष्मता से विवेचना की और अपीलकर्ता को उचित रूप से दोषी ठहराया। अभियोक्त्री का कथन विश्वसनीय है और अभियोजन पक्ष ने यह तथ्य प्रमाणित कर दिया है कि अभियोक्त्री पर अपीलकर्ता द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन उत्पीड़न किया गया था, इसलिए, दोषसिद्धि और दंड उचित है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना हैं तथा सम्पूर्ण अभिलेख का भी सुक्ष्मता से अवलोकन किया है।

8. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376(2)(एन) तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत आरोप विरचित किए थे तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376(3) तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत दोषी ठहराया तथा इस निर्णय के पैरा 1 में उल्लिखित अनुसार उसे दोषी ठहराया।

9. सबसे पहले, जो प्रश्न विचारणीय है वह यह है कि क्या अभियोक्त्री की आयु घटना की तिथि अर्थात 26.07.2018 को 16 वर्ष से कम थी।

10. अभियोक्त्री की आयु प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने श्रीमती उत्तरा सूद को अ.सा.–3 के रूप में परीक्षण कराया, जो शासकीय प्राथमिक शाला भागुतोला, जिला कबीरधाम की प्रधानाध्यापिका हैं, जिन्होंने बताया कि शाला का मुख्य प्रवेश पंजी प्र.पी/3 है तथा इस पंजी के अनुसार अभियोक्त्री ने दिनांक 01.04.2016 को 6 वीं कक्षा में प्रवेश लिया था तथा उक्त पंजी में उसकी जन्मतिथि दिनांक 09.05.2005 अंकित है। अभियोक्त्री की जन्मतिथि के संबंध में प्रविष्टि शिक्षिका संगीता वर्मा द्वारा की गई थी। उन्होंने संगीता वर्मा की लिखावट की पहचान की।

प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि जन्मतिथि दर्ज करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर प्रवेश पंजी में नहीं थे। उसने आगे स्वीकार किया कि अभियोक्त्री की जन्मतिथि उसके पिछले स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज की गई थी।

11.अभियोक्त्री (अ.सा.–8) ने यह भी कहा कि उसकी जन्मतिथि 09.05.2005 है, लेकिन प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी जन्मतिथि अपनी अंकसूची में लिखी हुई बताई थी और उसके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. अभियोक्त्री (अ.सा.–2) की माँ ने कहा कि अभियोक्त्री उसकी पुत्री है जो लगभग 14 वर्ष की है। उसने स्वीकार किया कि उसके पास अपनी पुत्री (अभियोक्त्री) का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और उसे अभियोक्त्री की वास्तविक जन्म तिथि याद नहीं है।

13. अभियोक्त्री (अ.सा.–9) के पिता ने बताया कि उसकी पुत्री 13 वर्ष की है तथा उसका जन्म 2005 में हुआ था। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि अनुमान के आधार पर उसने अभियोक्त्री की जन्म तिथि बताई थी तथा उसे अभियोक्त्री की वास्तविक जन्म तिथि याद नहीं है।

14. **पी. युवाप्रकाश बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक** के प्रकरण में दिनांक 18.07.2023 को दिए गए निर्णय के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 18 और 19 में यह अभिनिर्धारित किया है कि:–

> "18. इस प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए, एम एस स्कूल, सीडब्ल्यू–1 के प्रधानाध्यापक को न्यायालय ने तलब किया और एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र (प्र.सी–1) प्रसतुत किया। इस साक्षी ने एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र पंजी प्रस्तुत किया जिसमें एम का नाम था। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने एक वर्ष अर्थात 2009–10 तक स्कूल में पढ़ाई की थी और जन्म तिथि उस स्कूल द्वारा दिये गये अभिलेख के आधार पर थी जहां उसने 7 वीं कक्षा में पढ़ाई की थी। ब.सा.–2 टीएमटी चिन्नासोलीपलायम पंचायत स्कूल के प्रधानाध्यापक

पूंगोथोई ने न्यायालय द्वारा दिए गए समन का जवाब दिया और अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि 'एम' ने दिनांक 03.04.2002 से अपने स्कूल में प्रवेश लिया था और उसकी जन्म तिथि 11.07 1997 दर्ज की गई थी। उसने स्वीकार किया कि हालांकि जन्म तिथि जन्म प्रमाण पत्र पर आधारित थी, लेकिन इसे सामान्य रूप से कुंडली के आधार पर दर्ज किया जाता है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज किस आधार पर दर्ज किए गए थे। इसी विवाद्यक पर पहले भी कहा जा चुका है, अर्थात जन्म तिथि पर। थिरु प्रकाशम, ब.सा.–3 ने कहा कि वर्ष 1997 से संबंधित जन्म पंजी उनके कार्यालय के अभिलेख रूम में उपलब्ध नहीं था।

19. उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि विचारण के दौरान प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज में "विद्यालय से जन्म तिथि प्रमाण पत्र" या संबंधित परीक्षा बोर्ड से "मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र" या निगम, नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र का विवरण नहीं था। इन परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष के लिए स्वीकार्य चिकित्सा परीक्षण/परीक्षा के माध्यम से यह प्रमाणित करना आवश्यक था कि पीड़िता की आयु जेजे अधिनियम की धारा 94(2) (iii) के अनुसार 18 वर्ष से कम थी। वेल्लोर के जनरल अस्पताल में मुख्य सिविल चिकित्सक और रेडियोलॉजिस्ट अ.सा.–9 डॉ. थेनमोझी ने एक्स–रे रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि एम के परीक्षण के अनुसार, एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि "उक्त लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से कम होगी" प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने स्वीकार किया कि एम की उम्र 19 वर्ष मानी जा सकती है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस साक्ष्य को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "जब स्कूल के अभिलेख से सटीक जन्म तिथि उपलब्ध है, तो चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा अनुमानित आयु निर्धारण कारक नहीं हो सकती" यह निष्कर्ष, इस न्यायालय के विचार में, गलत और त्रुटिपूर्ण है। जैसा कि पहले कहा गया था, प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, अर्थात, स्थानांतरण प्रमाण पत्र और प्रवेश पंजी के अंश, धारा 94 (2) (1) के अनुसार नहीं हैं: न ही वे धारा 94 (2) (ii) के अनुरूप हैं क्योंकि ब.सा.–1 ने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि पीड़िता, एम के जन्म से संबंधित कोई अभिलेख नहीं थे। इन परिस्थितियों में, जेजे अधिनियम की धारा 94 के अनुसार एकमात्र साक्ष्य पीड़िता के कई एक्स–रे के आधार पर चिकित्सकीय ऑसिफिकेशन टेस्ट था, और जिसके आधार पर अ.सा.–9 ने अपना कथन दिया। उसने पीड़िता की हड्डियों की जांच, उनके विकास के चरण के बारे में विवरण समझाया और कहा कि वह 18–20 साल के बीच थी; प्रतिपरीक्षण में उसने कहा कि उम्र 19 वर्ष हो सकती है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि अस्थि परीक्षण का परिणाम सबसे प्रामाणिक साक्ष्य था, जिसकी पुष्टि परीक्षण करने वाले चिकित्सक अ.सा.–9 ने की थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अलामेलु एवं एक अन्य बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व, (2011) 2 एससीसी 385** के प्रकरण में अपने निर्णय के पैरा 40 एवं 48 में निम्नानुसार टिप्पणी की:

> "40. निस्संदेह, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, प्र.पी 16 यह दर्शाता है कि लड़की की जन्म तिथि 15 जून, 1977 थी। इसलिए, उपरोक्त प्रमाण पत्र के अनुसार भी, कथित घटना की तिथि अर्थात 31 जुलाई, 1993 को उसकी आयु 16 वर्ष (16 वर्ष 1 माह और 16 दिन) से अधिक होगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र शासकीय स्कूल द्वारा जारी किया गया है और प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है। इसलिए, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा। हालांकि, ऐसे दस्तावेज़ की स्वीकार्यता स्त्री की उम्र प्रमाणित करने के लिए साक्ष्यिक महत्व की नहीं होगी, क्योंकि उस सामग्री की अनुपस्थिति में जिसके आधार पर उम्र दर्ज की गई थी।
>
> 48. हम यह भी ध्यान दें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के संदर्भ में भी, एक सार्वजनिक दस्तावेज़ को सिविल और दाण्डिक कार्यवाही में समान मानक लागू करके परखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा रविंदर सिंह गोरखी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 4 के प्रकरण में की गई टिप्पणियों पर ध्यान देना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:–
>
> > "विद्यालय पंजी में दर्ज व्यक्ति की आयु या अन्यथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जा सकती है, जैसे प्रवेश प्राप्त करने के लिए; नियुक्ति प्राप्त करने के लिए; चुनाव लड़ने के लिए; विवाह का पंजीयन; सीलिंग कानूनों के तहत एक अलग इकाई प्राप्त करना; और यहां तक कि एक सिविल फोरम के समक्ष वाद चलाने के उद्देश्य से भी जैसे कि अभिभावक द्वारा न्यायालय में प्रतिनिधित्व किए जाने की आवश्यकता या जहां कोई मुकदमा इस आधार पर दायर किया जाता है कि वादी नाबालिग होने के कारण उसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं किया गया या उसकी ओर से किया गया कोई भी संव्यवहार नाबालिग होने के कारण शून्य था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वाद में पक्षकार की आयु निर्धारित करने के उद्देश्य से न्यायालय को समान मानक लागू करना होगा। अपहरण या बलात्संघ या इसी तरह के अपराध के प्रकरण में अभियुक्त के प्रकरण में कोई अलग मानक लागू नहीं किया जा सकता है, जहां पीड़िता या अभियोक्त्री ने अभियुक्त के साथ सहमति व्यक्त की हो सकती है, यदि स्कूल द्वारा बनाए गए पंजी में की गई प्रविष्टियों के आधार पर, दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज किया जाता है, तो अभियुक्त संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने संवैधानिक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिकार से वंचित हो जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में अभियुक्त को अन्यायपूर्ण रूप से दोषी ठहराया जा सकता है।"

16. उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान प्रकरण में, यह स्पष्ट है कि माता, पिता और अभियोक्त्री को वास्तविक जन्म तिथि स्मरण नहीं थी। प्रधानाचार्या– श्रीमती उत्तरा सूद (अ.सा.–3) स्कूल दाखिल खारिज पंजी में की गई प्रविष्टि की प्रणेता नहीं हैं और उन्होंने स्वीकार किया कि उक्त प्रविष्टि एक अन्य शिक्षिका संगीता वर्मा द्वारा की गई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त शिक्षिका का परीक्षण नहीं कराया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियोक्त्री घटना की तिथि को 16 वर्ष से कम उम्र की थी।

17. अभियोक्त्री (अ.सा.–8) ने बताया कि घटना दिनांक को वह अपनी मित्र के घर गई थी तथा शाम को वे बस से घर वापस जाने के लिए बस स्टैण्ड गए, उसी समय अभियुक्तगण तथा मोहित वहां आए तथा उनसे कहा कि वे उन्हें उनके घर छोड़ देंगे, किन्तु वे उन्हें अटल आवास ले गए तथा अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए। सुबह अभियोक्त्री के माता–पिता पुलिस के साथ अटल आवास आए तथा उसके पश्चात वे थाने गए। बरामदगी का पंचनामा प्र.पी/4 है, जिसमें उसने ग से ग भाग तक अपने हस्ताक्षर किए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में उसने यह तथ्य स्वीकार किया कि "यह कहना सही है मेरे माता–पिता मुझे मारते थे इसलिए मैं पहले भी अपने घर से भाग गई थी। ।पैरा 5 में उन्होंने इस बात से इनकार किया कि, " यह कहत गलत है कि आरोपी और मोहित मुझे और रेणुका को जबरदस्ती अपने साथ ले गये थे। साक्षी स्वतः कही कि आरोपी लोग कहे कि हमें घर छोड़ देंगे इसलिये उनके साथ गये। पैरा 6 में उन्होंने स्वीकार किया कि, "यह कहना सही है कि हम लोग अपनी मर्जी से अटल आवास गये थे । पैरा 6 में उन्होंने स्वीकार किया कि, "यह कहना सही है कि जब मेरे साथ गलत काम हुआ तब मैं शोर नहीं मचाई।"

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राय संदीप उर्फ दीपू बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)** तथा अन्य संबंधित प्रकरण **(2012) 8 एससीसी 21** के पैरा 22 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:–

"22. हमारे विचार में, 'उत्कृष्ट साक्षी' बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता का होना चाहिए, जिसका कथन इसलिए, अप्रतिरोध्य होना चाहिए। ऐसे साक्षी के कथन पर विचार करने वाले न्यायालय को बिना किसी हिचकिचाहट के इसे उसके वास्तविक रुप पर स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे साक्षी की वास्तविकता का परीक्षण करने के लिए, साक्षी की स्थिति महत्वहीन होगी और जो सुसंगत होगा वह ऐसे साक्षी द्वारा दिए गए कथन की सत्यता है। जो अधिक सुसंगत होगा वह कथन की सुसंगतता

होगी, आरंभिक बिंदु से लेकर अंत तक, अर्थात्, उस समय जब साक्षी प्रारंभिक कथन देता है और अंततः न्यायालय के समक्ष। यह स्वाभाविक होना चाहिए और अभियुक्त के रूप में अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे साक्षी के कथन में कोई मिथ्या नहीं होना चाहिए। साक्षी किसी भी प्रकार के प्रतिपरीक्षण का सामना करने की स्थिति में होना चाहिए। और चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्तियों और साथ ही इसके अनुक्रम के बारे में किसी भी संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस तरह के कथन का अन्य सहायक सामग्री जैसे बरामदगी, उपयोग किए गए हथियार, अपराध करने का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय के साथ सह–संबंध होना चाहिए। उक्त कथन को हर दूसरे साक्षी के कथन से लगातार मेल खाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रकरण में लागू किए गए परीक्षण के समान होना चाहिए, जहां अभियुक्त को उसके विरुद्ध कथित अपराध का दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई भी गायब कड़ी नहीं होनी चाहिए। केवल तभी जब ऐसे साक्षी का कथन उपरोक्त परीक्षण के साथ–साथ लागू किए जाने वाले अन्य सभी समान परीक्षणों को योग्य बनाता है, तो यह माना जा सकता है कि ऐसे साक्षी को ' उत्कृष्ट साक्षी' कहा जा सकता है, जिसका कथन न्यायालय द्वारा बिना किसी शर्त के स्वीकार किया जा सकता है। किसी भी तरह का पुष्टिकरण और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सके। अधिक सटीक रूप से कहें तो, अपराध के मुख्य पहलू पर उक्त साक्षी का कथन बरकरार रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी सहायक सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुएं, भौतिक विवरणों में उक्त कथन से मेल खानी चाहिए, ताकि अपराध की सुनवाई कर रही न्यायालय, कथित आरोप के लिए अपराधी को दोषी ठहराने के लिए अन्य सहायक सामग्रियों को छानने के लिए मुख्य कथन पर भरोसा कर सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. उपरोक्त सिद्धांत को वर्तमान प्रकरण में लागू करने पर यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री का कथन विश्वसनीय नहीं है और साथ ही उसका आचरण भी अत्यधिक संदिग्ध है। अन्य साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया और चिकित्सा साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन नहीं करते हैं। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए; जिस तरह से घटना घटित हुई है; अभियोक्त्री के कथन को प्रथम दृष्टया सत्य नहीं माना जा सकता है और यह संदिग्ध प्रतीत होता है। इसलिए, अपीलकर्ता पर लगाए गए दोषसिद्धि और दंडादेश को यथावत रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। वह संदेह का लाभ के आधर पर उक्त आरोप से बरी किये जाने योगय है।

20. उपरोक्त कारणों से, भा.दं.सं. की धारा 363, 366, 376(3) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और दंडादेश कानूनी रूप से कायम नहीं रह सकती। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक 16.05.2019 के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को कथित अपराधों से बरी किया जाता है। बताया जाता है कि वह जेल में निरुद्ध है। यदि उसे किसी अन्य प्रकरण में निरुद्ध रखने की आवश्यकता नहीं है, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

21. बीएनएसएस 2023 की धारा 481 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष 25,000/– रुपये की राशि के लिए दो विश्वसनीय जमानतदारों के साथ एक व्यक्तिगत बंध–पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा, साथ ही एक वचनबद्धता भी होगी कि वर्तमान निर्णय के विरुद्ध या अनुमति प्रदान करने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने की स्थिति में, उक्त अपीलकर्ता इसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

22. इस निर्णय की प्रति सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख अनुपालन एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए तत्काल संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

(रजनी दुबे)

न्यायाधीश

सही/–

(सचिन सिंह राजपूत)

न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**